

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962-230065, फ़ैक्स: 05962-232182 ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 1397 / 12-102/ दिनांक,

अल्मोड़ा 01-09-2015

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

विषय:- जनपद अल्मोड़ा में तराड़ी-डभरा-शख़ील मोटर मार्ग (प्रस्ताव सं० 10859/2015)

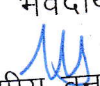
संदर्भ:- आनलाइन आपत्ति दिनांक 30.08.2016

महोदय,

विषयगत प्रकरण में लगाई गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जाती है।

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
1	2	3
1.	Short Narrative of the project provided in online Part-I. does not provide adequate information about proposal.	Short narrative of the project adequate information about the proposal (Online Para-A-1(iii) of part-I) has been submitted.
2.	Total period for which the land proposed to be diverted is not mentioned in online Part-I.	Total period for which the land proposed to be diverted is now mentioned in online Part-I. Para A-1(i)
3.	The authority letter is not uploaded in online though it is provided in hard copy. The State Govt may upload the same at designated place in Part-I.	The authority letter in favor of Mr. Kundan Lal Verma is attached in Part-I. Para-A-3(xvii)
4.	The State Govt. has provided information in the proposal that.	-
5.	SoI toposheet map at colum C(iii) uploaded showing location of CA instcad of the area proposed for diversion and the same map is also uploaded in colum C(iv). The State Govt. may provide/upload the correct SoI toposheet may showing alignment of the proposed road and scanned copy of GIS software generated geo referenced digital map to the exact scale of the proposed road showing geo coordinates at 200 to 300 m interval along the alignment including all turning points and ensure the uploading of correct revised map in online Part I.	The correct SoI toposheet showing alignment of the proposed road is uploaded and scanned copy of GIS software generated geo referenced digital map to the exact scale of the proposed road showing geo coordinates at 200 to 300 m interval along the alignment including all turning points is uploaded & correct revised map in online Part-I, Para C-(iv)
6.	The geo-referenced digital map of area proposed for CA is not uploaded in online L (v). May provide/upload GIS software genecrated geo referenced digital map of the area proposed for CA providing geo coordinates at all corner points in shape (polygon/closed area) file.	The geo-referenced digital map of area proposed for CA is uploaded in online L (v). GIS software genecrated geo referenced digital map of the area proposed for CA providing geo coordinates at all corner points in shape (polygon/closed area) file is uploaded. Para L(v)

7.	The FRA certificate issued on dated 28-02-2015 though signed on dated 13-03-2015. The State Govt. may correct the date of FRA certificate because procedurally the date of FRA certificate should not been the date of district level committee (DLC) meeting which is 13-03-2015 in this case.	The VLC meeting held on 28.02.2015 & FRA certificate issued on the same date while the DCL meeting held on 13.03.2015 hence the certificate for the same is signed on 13.03.2015
8.	If this project involve boundary of 8 villages as mentioned in the list of villages to be benefited and village wise break up provided with the proposal then proceedings of village level committee (VLC) meeting pertaining to other villages may also be furnished with the FRA certificate.	The proceeding of village level committee meeting pertaining to other revenue villages benefited, furnished with the FRA certificate. Part I. Para K-(i)(a)
9.	In online Part I column L.(iv) (f), (g) and (h), the same document is uploaded. The State Govt may upload the correct document in each above mentioned place in online Part I.	The correct document in each mentioned place in online Part I is uploaded column . L.(iv) (f), (g) and (h).
10.	The CA scheme uploaded in online Part II and provided with hard copy of the proposed is for plantation of 30,000 trees but the CA area is not mentioned in the scheme. The State Govt. may provide/upload revised CA scheme for area proposed for CA i.e. 9.81 ha.	The Revised CA scheme for area propose for CA is corrected & uploaded also CA area mentioned in the scheme attached at additional information remark column.
11.	The State Govt. may provide authenticated copy of Part I, II, III, IV and V of the same uploaded in online web portal to this office as the copy attached with the proposal in not signed by any authority.	Authenticated Signed copy of Part I are related to User agency uploaded but Part II, III, IV and V are not related to user agency.
12.	In the proposal the State Govt has mentioned that out of total sanctioned length of 40 km, 36.225 km road is proposed to be constructed out of which this proposal is for the length of 21 km and remaining 15.225 km has already been approved and constructed. The State Govt may provide details of previously approved roads of 9.450 km and 5.775 km in the column B. (B-I) online Part-I.	Sanctioned length is 40 Km. Road Proposed length is 21 Km. Starting 9.450 Km. constructed by PMGSY Division. Whereas only nap land effected. 5.775 Km. length effected in nap land. Constructed by this Division.
13.	As per Decision Support System (DSS) Analysis the area of CA shown in KML file of CA in Part-I shows the extent of area as 8.49 ha instead of 9.81 ha area proposed for CA. May upload KML file again showing the correct extent of area proposed for CA in addition the area proposed for CA has also been indicated ha in moderately dense forest in DSS anal is which may also be reviewed for is appropriateness for CA	The area proposed for CA is 9.81 ha which is corrected now. KML file showing the correct extent of area proposed for CA is uploaded in Part I. Para L-(iv)(c)

भवदीय,

 प्रभागीय वनाधिकारी
 अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

FORM - A

Form for seeking prior approval of Central Government under section 2 of the Forest(Conservation) Act,1980 for
Diversion of fresh forest area

PART - I

(To be filled up by User Agency)

A. General Details**A-1. Project Details**

(i). Proposal No. : FP/UK/ROAD/10859/2015

(ii). Name of Project for which Forest Land is required : Const of Tarari Dabhara Shashikhal motor road.

(iii). Short narrative of the proposal and Project/scheme for which the forest land is required :
Construction of Tarari Dabhara Shashikhal motor road Sanctioned by Govt. order no. 2404/Lo.
Ni.-2/2003-2(Mu.M.Gho.)/2003 dated 15-12-2003 Proposed length of the road 21 Km. and cost is
744.20. Benefited villages are Chamkana, Dadharya, Styland etc.

(iv). State : Uttarakhand

(v). Category of the Project : Road

(vi). Shape of forest land proposed to be diverted : Linear

(vii). Estimated cost of the Project(Rupees in lacs) : 744.2

(viii). Total Area of Forest Land proposed for diversion(in ha.): 4.905

(ix). Non-Forest Land required for this project(in ha.): 13.995

(x). Total period for which the forest land is proposed to be diverted(in years): 300

A-2. Details of User Agency

(i). Name : EXECUTIVE ENGINEER

(ii). Address1 : Provincial Division P.W.D., Ranikhet

(iii). Address2 : Mall Raod Ranikhet

(iv). State : Uttarakhand

(v). District : Almora

(vi). Pin : 263645

(vii). Landmark : NIL

(viii). Email address : eepdrani@yahoo.com

(ix). Landline Telephone No. : 5966-220679

(x). Fax No. : NIL

(xi). Mobile No. : 9412403782

(xii). Website (if any) : NIL

(xiii). Legal status of User Agency : State Government

A-3. Details of Person Making Application

(i). First Name: Kundan

(ii). Middle Name: Lal

(iii). Last Name: vema

(iv). Gender: Male

(v). Designation: Executive Engineer

(vi). Address 1: Provincial Division PWD, Ranikhet

(vii). Address 2: Mall Road Ranikhet

(viii). State: Uttarakhand

(ix). District: Almora

(x). Tehsil: Ranikhet

(xi). Pin: 263645

(xii). Landmark: Ranikhet

(xiii). Email Address: eepdrani@yahoo.com

(xiv). Landline Telephone No.: 5966-220679

(xv). Fax No.: 05966220679

(xvi). Mobile No.: 9412403782

(xvii). Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency: 

B. Details of land required for the Project

B-1. Details of proposal seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land for the Project already submitted in the past

List of proposal submitted in Past							
S.no	Proposal Status.	Proposal No.	Moef File No.	Area Proposed for Diversion(Ha.)	Area Diverted(Ha.)	Date of In-Principle Approval	Date of Final Approval
NIL							

B-2. Details of forest land proposed to be diverted

B-2.1 Details of Divisions involved

Details of Divisions involved			
S.no	Division Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Almora	4.905	13.995

B-2.2 Details of Districts involved

District wise breakup			
S.no	District Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Almora	4.905	13.995

B-2.3 Village wise breakup

Villages wise breakup			
S.no	Village	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	Madre	0.76	1.935
2	Kukurar	0.5	1.84
3	Binoli	1.3	1.96
4	Davra	1.26	1.84
5	Dadria	0.4	1.68
6	Chamkana	0.37	1.59
7	Dangula	0.315	1.84
8	Soli	0	1.3

B-2.4 Component wise breakup

Component wise breakup			
S.no	Component	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)

1	For road work Km 1 to 21	4.905	13.335
2	For Muck Disposal Dumping Yard	0	0.659

C. Maps of forest land proposed to be diverted

Division 1. : Almora		
(i). Area of forest land proposed to be diverted(in ha.) : 4.905 (ii). : Linear (b). No. of Segments : One		
Segment wise details		
Segments	Segment Area(in ha.)	Kml File of Segments
1.	4.905	 View File
(iii). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted:  (iv). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total Station: 		

D. Justification for locating the Project in forest land and details of alternatives examined:

- (i). Copy of note containing justification for locating the Project in forest land: 
- (ii). Whether a copy of map indicating location of alternative examine is required to be provided: Yes
- (a). Copy of map indicating location of alternative examined: 

E. Employment likely to be generated

- (i). Whether the Project is likely to generate employment?: Yes
- (ii). Permanent/Regular Employment(Number of persons): 160
- (iii). Temporary Employment(Number of person-days): 4000

F. Displacement of People due to the Project, if any

- (i). Whether Project involves displacement?: No

G. Details of Cost-Benefit analysis for the Project

(i). Whether the Project requires Cost-Benefit analysis?: No

H. Status of Environmental Clearance

(i). Whether the Project requires Clearance under the Environment (Protection) Act 1986 ? : No

I. Status of Wildlife Clearance

(i). Whether the Project or a part thereof is located in any Protected Area or their Eco sensitive zone? : No

J. Applicability of special provisions governing Scheduled Areas

(i). Whether the Project or a part thereof is located in a Scheduled Area? : No

K. Status of settlement of rights under the Forest Rights Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted

(i). Whether the process for settlement of Rights under the Forest Rights Acts 2006 on the forest land proposed to be diverted has been completed? : Yes

(a). Copy of documentry evidence in support of settlement of rights under the Forest Rights Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted: 

L. Details of land identified for Compensatory Afforestation

(i). Whether non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency?: Yes

(ii). Whether the area of non-forest land or Revenue forest land required to be provided by User Agency for raising Compensatory Afforestation is less than area of forest land proposed to be diverted ? : No

(iii). No. of districts involved for raising Compensatory Afforestation: 1

(iv). No. of patches: One

District 1. : Almora	
(a). Village:	bandharan basnal
(b). Area(in ha.):	9.81
(c). Copy of KML file of the patch:	 View File
(d). Khasra details:	Kata no 54
(e). Present owner:	Others
(f). Copy of ownership proof:	

(g). Copy of Mou/agreement executed between the Present owner and the User Agency: 

(h). Copy of non encumbrance certificate for the forest land: 

(v). Scanned copy of the map of the land identified for creation of Compensatory Afforestation prepared by using GPS or Total Station: 

(vi). Copy of Survey of India Toposheet in 1:50,000 scale indicating location of the land identified for creation of Compensatory Afforestation: 

Additional information Details

Documents		
S.No	Documents	Remarks
1		Objection removed by letter no. 2093/36c dated 30-08-2016 behalf your letter no. memo/12-1(2) dated 27-07-2016
2		Short narrative and importance of the project.
3		Administrative and finance sanction
4		Preliminary joint inspection report
5		Comparative chart showing statement of both alignment
6		Certificate from the DM that no alternate suitable non forest land is available for the project
7		Land Schedule
8		Category wise land length, width and area.
9		Bar chart with index
10		Compensatory afforestation scheme in civil and soyam land (10 years) by DFO
11		Compensatory Certificate regarding suitability of identified land for CA
12		Undertaking by the user agency to bear the cost of C.A
13		Road side/ gap filling plantation estimate
14		Undertaking by the user agency to bear the cost of road side/ gap filling plantation.
15		Details of trees with their scientific names.

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत**

Ph. No. 05966-220679

Fax No. 05966-220679

E-mail – eepdrani@yahoo.com

पत्रांक **2093** / 36सी.

दिनांक रानीखेत अगस्त **30**, 2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा में तराड़ी-डभरा-शशिखाल मोटर मार्ग का निर्माण।
(प्रस्ताव सं. 10859/2015)

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक मैमो / 12-1(2) दिनांक 27.07.2016।

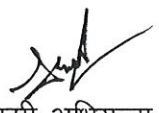
महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि दिनांक 27.07.2016 को प्रस्ताव में लगाई हुई आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव पुनः आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
1	2	3
1.	Short Narrative of the project provided in online Part-I. does not provide adequate information about proposal.	Short narrative of the project adequate information about the proposal (Online Para-A-1(iii) of part-I) has been submitted.
2.	Total period for which the land proposed to be diverted is not mentioned in online Part-I.	Total period for which the land proposed to be diverted is now mentioned in online Part-I. Para A-1(i)
3.	The authority letter is not uploaded in online though it is provided in hard copy. The State Govt may upload the same at designated place in Part-I.	The authority letter in favor of Mr. Kundan Lal Verma is attached in Part-I. Para-A-3(xvii)
4.	The State Govt. has provided information in the proposal that.	-
5.	SoI toposheet map at colum C(iii) uploaded showing location of CA instcad of the area proposed for diversion and the same map is also uploaded in colum C(iv). The State Govt. may provide/upload the correct SoI toposheet may showing alignment of the proposed road and scanned copy of GIS software generated geo referenced digital map to the exact scale of the proposed road showing geo coordinates at 200 to 300 m interval along the alignment including all turning points and ensure the uploading of correct revised map in online Part I.	The correct SoI toposheet showing alignment of the proposed road is uploaded and scanned copy of GIS software generated geo referenced digital map to the exact scale of the proposed road showing geo coordinates at 200 to 300 m interval along the alignment including all turning points is uploaded & correct revised map in online Part-I. Para C-(iv)
6.	The geo-referenced digital map of area proposed for CA is not uploaded in online L (v). May provide/upload GIS software geneccrated geo referenced digital map of the area proposed for CA providing geo coordinates at all corner points in shape (polygon/closed area) file.	The geo-referenced digital map of area proposed for CA is uploaded in online L (v). GIS software geneccrated geo referenced digital map of the area proposed for CA providing geo coordinates at all corner points in shape (polygon/closed area) file is uploaded. Para L(v)

क्रमशः पेज-2 पर

7.	The FRA certificate issued on dated 28-02-2015 though signed on dated 13-03-2015. The State Govt. may correct the date of FRA certificate because procedurally the date of FRA certificate should not been the date of district level committee (DLC) meeting which is 13-03-2015 in this case.	The VLC meeting held on 28.02.2015 & FRA certificate issued on the same date while the DCL meeting held on 13.03.2015 hence the certificate for the same is signed on 13.03.2015
8.	If this project involve boundary of 8 villages as mentioned in the list of villages to be benefited and village wise break up provided with the proposal then proceedings of village level committee (VLC) meeting pertaining to other villages may also be furnished with the FRA certificate.	The proceeding of village level committee meeting pertaining to other revenue villages benefited, furnished with the FRA certificate. Part I. Para K-(i)(a)
9.	In online Part I column L.(iv) (f), (g) and (h), the same document is uploaded. The State Govt may upload the correct document in each above mentioned place in online Part I.	The correct document in each mentioned place in online Part I is uploaded column . L.(iv) (f), (g) and (h).
10.	The CA scheme uploaded in online Part II and provided with hard copy of the proposed is for plantation of 30,000 trees but the CA area is not mentioned in the scheme. The State Govt. may provide/upload revised CA scheme for area proposed for CA i.e. 9.81 ha.	The Revised CA scheme for area propose for CA is corrected & uploaded also CA area mentioned in the scheme attached at additional information remark column.
11.	The State Govt. may provide authenticated copy of Part I, II, III, IV and V of the same uploaded in online web portal to this office as the copy attached with the proposal in not signed by any authority.	Authenticated Signed copy of Part I are related to User agency uploaded but Part II, III, IV and V are not related to user agency.
12.	In the proposal the State Govt has mentioned that out of total sanctioned length of 40 km, 36.225 km road is proposed to be constructed out of which this proposal is for the length of 21 km and remaining 15.225 km has already been approved and constructed. The State Govt may provide details of previously approved roads of 9.450 km and 5.775 km in the column B. (B-I) online Part-I.	Sanctioned length is 40 Km. Road Proposed length is 21 Km. Starting 9.450 Km. constructed by PMGSY Division. Whereas only nap land effected. 5.775 Km. length effected in nap land. Constructed by this Division.
13.	As per Decision Support System (DSS) Analysis the area of CA shown in KML file of CA in Part-I shows the extent of area as 8.49 ha instead of 9.81 ha area proposed for CA. May upload KML file again showing the correct extent of area proposed for CA in addition the area proposed for CA has also been indicated ha in moderately dense forest in DSS anal is which may also be reviewed for is appropriateness for CA	The area proposed for CA is 9.81 ha which is corrected now. KML file showing the correct extent of area proposed for CA is uploaded in Part I. Para L-(iv)(c)

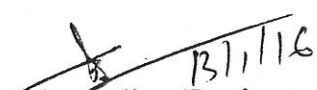

 अधिशासी अभियन्ता,
 प्रान्तीय स्वरूड, लोक निर्माण विभाग,
 रानीखेत।

TO WHOM MAY CONCERN

Letter No... 255/1052.....

Dated... 13/01/2016.....

Mr. Kundan Lal Verma, Executive Engineer, Provincial Division, Public Works Department, Ranikhet(Almora) is being authorized to make online submission of the Forest Land Transfer Proposal under the jurisdiction of Provincial Division, P.W.D., Ranikhet.


Superintending Engineer,
1st Circle, P.W.D.,
Almora

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में तराड़ी-डभरा-शशिखाल मोटर मार्ग का नव निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - ~~चमकना डहरी~~ विचैरी 15721
तहसील सुंदर / जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में तराड़ी-डभरा-शशिखाल मोटर मार्ग का नव निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु (0.20 है० आरक्षित वन भूमि, सिविल सोयम भूमि 1.7 है०, वन पंचायत भूमि 3.195 है०) अर्थात् कुल 4.905 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग रानीखेत विभाग, सस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत विचैरी द्वारा दिनांक 28/2/2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चमकना डहरी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 4.905 है० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

[Signature]
ह०/- 4/2/2016
ग्राम सचिव

[Signature]
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत चमकना डहरी
विकास खण्ड संत, (अल्मोड़ा)
ह०/-

नोट:- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

दिनांक 22.02.14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत राजपुर इंदौरा

[illegible]

दीवानी रात
ग़ाय प्रधान

16
प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में तराड़ी-डभरा-शशिखाल मोटर मार्ग का नव निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - चमकाना डबरिया

तहसील

402 -

जिला

अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में तराड़ी-डभरा-शशिखाल मोटर मार्ग का नव निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु (0.20 है० आरक्षित वन भूमि, सिविल सोयम भूमि 1.17 है०, वन पंचायत भूमि 3.195 है०) अर्थात् कूल 4.905 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग रानीखेत विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत डबरिया द्वारा दिनांक 28-02-04 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम डबरिया के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 4.905 है० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/- चमकाना डबरिया
ग्राम सचिव

चमकाना डबरिया
ग्राम प्रधान
ह०/-
ग्राम प्रधान (अल्मोड़ा)

नोट:- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र-23.1

1.6 (a)

दिनांक १४-२-०१८ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत ...

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	डा. इन्द्र सिंह	डा. इन्द्र सिंह
	रघुशरण सिंह	रघुशरण सिंह
	पुष्पाश चवड़ा	पुष्पाश चवड़ा
	रमेश राम	रमेश राम
	जोगा सिंह	जोगा सिंह
	पुष्पाश सिंह	पुष्पाश सिंह
	राजेश सिंह	राजेश सिंह
	मनवीर सिंह	B. Raleet
	मदन सिंह	मदन सिंह
	जोगा राम	जोगा राम
	जगत सिंह	जगत सिंह
	अमर सिंह	अमर सिंह
	देवकी देवी	देवकी देवी
	जानकी देवी	जानकी देवी
	लक्ष्मी देवी	लक्ष्मी देवी
	जीमा देवी	जीमा देवी
	विमला देवी	विमला देवी
	आनन्दी देवी	आनन्दी देवी
	दीपा देवी	दीपा देवी
	दली सिंह रावत	दली सिंह रावत
	सुरेश सिंह	सुरेश सिंह
	चन्दन सिंह	चन्दन सिंह
	चन्दन राम	चन्दन राम
	चन्दन सिंह	चन्दन सिंह

(307)

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में तराड़ी-डभरा-शशिखाल मोटर मार्ग का नव निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - १९२१८/३६३/विनोदी
तहसील ६०२/ जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में तराड़ी-डभरा-शशिखाल मोटर मार्ग का नव निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु (०.०० है० आरक्षित वन भूमि, सिविल सोयम भूमि / ११७ है०, वन पंचायत भूमि ३.१९५ है०) अर्थात् कूल ४.१९५ है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग रानीखेत विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत १९२१८/३६३ द्वारा दिनांक २०-२-१५ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम, २००६ के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम १९२१८/विनोदी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ४.१९५ है० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह० / विनोदी क.दु.कोरी
ग्राम सचिव

प्रधान
ग्राम पंच०/खुमाड़
वि० ग्रामाप्रधान अल्मोड़ा

नोट:- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

(30.2)

दिनांक 20/11/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

27/03/2024

27

2000

[illegible]

प्रपत्र-23.1

दिनांक 28/11/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत 28/11/2015

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
①	अनुराज सिंह	अनुराज सिंह
②	मेनका सिंह	मेनका सिंह
③	माधो सिंह	माधो सिंह
④	शुशाल सिंह	शुशाल सिंह
⑤	नारायण सिंह	नारायण सिंह
⑥	हरीश सिंह	हरीश सिंह
⑦	शुशाल सिंह	शुशाल सिंह
⑧	गोपाल सिंह	गोपाल सिंह
⑨	गंगा सिंह	गंगा सिंह
⑩	सुख कुमार	सुख कुमार
⑪	शिव कुमार उपाध्याय	शिव कुमार उपाध्याय
⑫	मोहन चंद	मोहन चंद
⑬	हरीश चंद जोशी	हरीश चंद जोशी
⑭	विजय चंद	विजय चंद
⑮	रमा देवी	रमा देवी
⑯	हरीश	हरीश
⑰	पान सिंह	पान सिंह

मोहन सिंह
ग्राम प्रधान

1.6

(30.3)

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में तराड़ी-डभरा-शशिखाल मोटर मार्ग का नव निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम -

तहसील/ जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में तराड़ी-डभरा-शशिखाल मोटर मार्ग का नव निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु (0.20 है० आरक्षित वन भूमि, सिविल सोरम भूमि 1.170 है०, वन पंचायत भूमि 3.195 है०) अर्थात् कुल 4.465 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग रानीखेत विभाग/रा.वि. के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायतसंग्रहा..... द्वारा दिनांक 20-2-15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधियों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्रामसंग्रहा..... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 4.465 है० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव



ग्राम पंचायत संग्रहा
विकास सचिव सचिव, (अल्मोड़ा)
ह०/-
ग्राम प्रधान

नोट:- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 20/2/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत 8 नं० 1 / 2 क० 1

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	विष्णु खन्त	19 दस
2	सुरजीधर	गुलीधर
3	प्रेमवल्लभ	प्रेमवल्लभ
4	चन्दन सिंह	चन्दन सिंह
5	हरि सिंह	हरि सिंह
6	प्रेमवल्लभ	प्रेमवल्लभ
7	नन्दन सिंह	नन्दन सिंह
8	देव सिंह	देव सिंह
9	गोविन्द सिंह	गोविन्द सिंह
10	जस राम	जस राम
11	दीवान राम	दीवान राम
12	खुरेश राम	खुरेश राम
13	जीत राम	जीत राम
14	भजन सिंह	भजन सिंह
15	पताप सिंह	पताप सिंह
16	नन्दन सिंह	नन्दन सिंह
17	दीवान राम	दीवान राम

સુભાષી
પપા

श्री गणेशाय नमः
१. हमारा बच्चा बालक
बिना बालको

परियोजना का नाम :-

प्रपत्र-23.2

जनाद ककोडा में तराई-इकरा-शशरिकावा

कार्यालय उप जिलाधिकारी, एकरा

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, एकरा

उपखण्ड एकरा परिक्षेत्र के अन्तर्गत एकरा-इकरा-शशरिकावा
 (एकरा हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.74 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 3.18 हे0
 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 4.92 हे0 वन भूमि) का
मो. नि. वि. प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
 जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के
 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील एकरा) की दिनांक 28-2-08 को
 सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
 अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक
 श्री एम. एम. 2004, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की
 अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री एम. एम. 2004 उपजिलाधिकारी एकरा अध्यक्ष
- 2- श्री एम. एम. 2004 उप प्रभागीय वनाधिकारी एकरा सदस्य
- 3- श्री सुदेश मनसल सहायक समाज कल्याण अधिकारी एकरा सदस्य/सचिव
- 4- श्री रमेश शर्मा बी0डी0सी0 क्षेत्र एकरा सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी
 की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया
 कि तराई-इकरा शशरिकावा मोर कार्ग

परियोजना हेतु 4.92 हे0 वन
 भूमि एकरा-इकरा-शशरिकावा मोर कार्ग

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों
 के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त
 भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग
 हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अनुराधा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य
 परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008
 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन
 अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया
 है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

1-6 (c)

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड स०२ परिक्षेत्र के अन्तर्गत
व०११ स०२ श०११/०१०१ परियोजना के निर्माण हेतु 4-4
हे० वन भूमि क्र०११/०१०१ प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर
प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्षयक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- स०२
जनपद- श०११/०१०१

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, स०२ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्षयक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- स०२
जनपद- श०११/०१०१

प्रमाण पत्र 23.3

जिलाधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड

1. परियोजना का नाम :- जलधारा - अल्मोड़ा के तराई - 572 - शकारिवाला
कोर मरि

वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत जनपद स्तरीय बैठक दि० 28-02-015 के अनुसार प्रमाण-पत्र।

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित तराई - 572

कोर मरि के निर्माण हेतु 4.905 है०
वनभूमि का अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत, प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति, अल्मोड़ा तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहीत नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

130315
जिला अधिकारी
अल्मोड़ा

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा

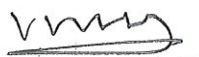
It is further certified that

S.N.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire ^{4.905} 2.362 het. of forest area proposed for diversion/copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s) and the District level Committee are enclosed annexure 1 to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribus and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for Facilities managed by the Goverment as required under section 3(2) of the FRA have been Complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and preagricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl:As above

जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

अल्मोड़ा


13.03/15
Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

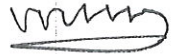
जिला अधिकारी
अल्मोड़ा.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman. I.A.S. Deputy Commissioner. Almora on date 13.03.15 ~~28.03.15~~ at time 5.40 PM at Almora. in which application claiming rights of 49.050 Sqm area measuring 4.905 hect. for the Construction of Tarade - Davara - Shashikhal Motorroad of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to consider the same of admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions. no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above for diversion of land for the said purpose.

Place : Almora

Date :



13.03.15

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

जिला अधिकारी

अल्मोड़ा

जिला अधिकारी

अल्मोड़ा.

(30)

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector : Almora

No :

Dated: 28/11/15

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest(MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers(Recognition of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that...4.905...hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development (RD) Dept. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction...of...Tara...Dewara...Provincial Division PWD Ranthambore...Shashikhal...Mota Doral (21 Km).....

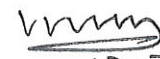
(Purpose for diversion of forest land) in...Almora...district falls within jurisdiction of...Chamkang...village(s) in...Sult...Tehsils.
Daulkhani

It is further Certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.905 Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent to it.
- (c) The proposal dose not involve recognized of primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Encl:As above

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा


D.M. 303/15

Signature

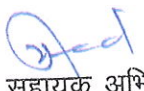
(Full name of the official seal of the District Collector)

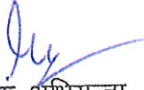
जिला अधिकारी
अल्मोड़ा

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में तराड़ी-डभरा-शशिखाल मोटर मार्ग का निर्माण

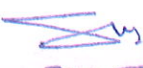
क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र

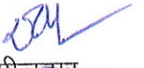
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत तराड़ी-डभरा-शशिखाल मोटर मार्ग के निर्माण में 5.810 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि की आवश्यकता है, जिसके एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम बन्द्राण बसनाल के खतौनी खाता सं० 54 की 5.810 है० सिविल भूमि उपलब्ध है तथा राजस्व विभाग को वृक्षारोपण हेतु कोई आपत्ति नहीं है।

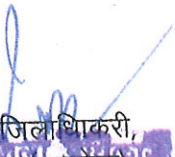

अपर सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत (अल्मोड़ा)


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत (अल्मोड़ा)


अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत (अल्मोड़ा)


तरेन्द्र सिंह मर्तोल्या
पटवारी क्षेत्र पटवारी, तह० सल्ट
विवा... तहसील सल्ट (उत्तराखण्ड)
अल्मोड़ा


तहसीलदार
सल्ट
जिला-अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)


उपजिलाधिकारी,
सल्ट (अल्मोड़ा)
जिला-अल्मोड़ा उत्तराखण्ड

23

क्र.सं.	खातेदार का नाम	खाता संख्या	खेत नम्बर	रकबा हे० मे	विवरण
1:	कंजर गोचर	54	593 595 607 612 616 619 624 626 628 640 642 666 667 668	01051 01110 01019 01151 01016 01045 01050 01066 01302 5764 1810 01173 4852 21000	
	योग:-		14	15409	
	सुरेंद्र सिंह मल्लोयिया पटवारी क्षेत्र, जिला (उत्तराखण्ड) सहायक अभियन्ता (चतुर्थ) प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०, रानीखेत मुख्यालय - रामनगर		सहायक अभियन्ता सल्ट, बिला-बालीडा उत्तराखण्ड अधीक्षणी अभियन्ता लो० नि० वि० रानीखेत मुख्यालय-रामनगर		उपजिलाधिकारी सल्ट- बिला-अल्मोड़ा

प्रारूप-48

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में तराड़ी-डभरा-शशिखाल मोटर मार्ग का निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित कार्य परियोजना निर्माण के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य हेतु 9.810 गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता है। इस हेतु ग्राम बन्द्राण बसनाल, पटवारी क्षेत्र कुपी, तहसील सल्ट, जिला अल्मोड़ा के खाता संख्या 54 के खसरा संख्या 5234 हेतु 9.810 517

वन्दारापना की भूमि चयनित कर ली गई है।

उक्त परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि की प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त उपरोक्त भूमि का अमल दरामद (Mutation) वन विभाग के नाम कर दिया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत (अल्मोड़ा)

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत (अल्मोड़ा)

अधिशारी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत (अल्मोड़ा)

वरिष्ठ सिंह मर्तोनिया
पटवारी क्षेत्र पटवारी तहसील सल्ट
विवा तहसील सल्ट (उत्तर)

तहसीलदार
सल्ट
जिला-अल्मोड़ा (उत्तर)

उपजिलाधिकारी,
सल्ट (अल्मोड़ा)
जिला-अल्मोड़ा उत्तराखण्ड

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में तराडी-डभरा-शशिखाल मोटर मार्ग का नव निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिपूरक वनीकरण के लिये ~~वन्दराण~~
~~वसनाल~~ प्रस्तावित क्षेत्र प्रबन्धकीय व नवीकरण दृष्टिकोण से उपयुक्त है।

(P)
(प्रेमपाल सिंह)
अमीन
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

(अशोक कुमार)
सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

(अशोक कुमार)
सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

(अशोक कुमार)
सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

(अशोक कुमार)
सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

(अशोक कुमार)
सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

(अशोक कुमार)
सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

(अशोक कुमार)
सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत

परियोजना का नाम :- तराड़ी-डभरा-शशिखाल मोटर मार्ग का नव निर्माण I(5.810हे0)

वृक्षारोपण स्थल का नाम :- बन्द्राण बसनाल

रोपित किये जाने वाल पौधों की संख्या :- 5.810हे0 (6391वृक्ष)

क्र.सं.	कार्य का विवरण	ईकाई		इकाई दर (रु0)	योग
1.	सर्वे एवं सीमांकन	5.810	हे0	97.00	563.57
2.	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	5.810	हे0	564.00	3276.84
3.	अग्रिम दीवाल बन्दी(फैन्सिंग)(800X0.45X1)	360.00	घन मी	315.00	113400.00
4.	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल-खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्यों हेतु प्राविधान				
अ	पत्थरों का चैक डेम	1.00		8470.00	8470.00
ब	वाटर हार्चसिटिंग डेम	1.00		4078.00	4078.00
5.	गढ़वा खुदान (0.30X0.30X0.45)	6391	पौध	7.33	46846.03
6.	निरीक्षण बटिया बनाना	6.44	हे0	485.00	3123.40
7.	पौधों की कीमत(प्रथम वर्ष)	6391	पौध	5.89	37642.99
8.	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र, औजार तेज कराना एवं अन्य कार्यों पर व्यय	6.440	हे0	400.00	2576.00
9.	अन्य कार्य निराई गुड़ाई तथा समय-समय पर देख-रेख	L.S.	L.S.	L.S.	2200.00
योग प्रथम चरण -					222176.83
द्वितीय चरण					
1.	गढ़वा भरान कार्य (0.30X0.30X0.45)	6391	पौध	1.15	7349.65
2.	पौधों की कीमत(द्वितीय वर्ष)	6391	पौध	1.15	7349.65
3.	पौध डुलान कार्य	6391	पौध	6.39	40838.49
4.	पौधारोपण व थावलाबन्दी	6391	पौध	2.06	13165.46
5.	निराई, गुड़ाई व मल्लिंग (दो बार)	6391	पौध	0.76	4857.16
6.	खाद व दवा पर व्यय	6391	कि0ग्रा	19.00	121429.00
7.	प्रथम वर्ष में देख-रेख व रखरखाव पर व्यय (596रुXहे0X18माह)	6	Month	4768.00	28608.00
8.	वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत				
8.1	सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे0	5.810	हे0	350.00	2033.50
8.2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4मी0 की पट्टी साफ करना	5.810	हे0	225.00	1307.25
8.3	वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	5.810	हे0	700.00	4067.00
9.	अन्य व्यय पौध डुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा के बचने पॉलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार फोटाग्राफी फील्ड कार्यों को प्रचार-प्रसार एवं डैक्यूमेन्टेशन आदि कार्य	5.810	हे0	350.00	2033.50
10	अन्य कार्य साईन बोर्ड	1	नं0	2000.00	3000.00
योग द्वितीय चरण					236038.66
योग- प्रथम चरण+द्वितीय चरण					458215.49

क्र.सं.	कार्य का विवरण	ईकाई	इकाई दर (रु०)	योग	
वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख-रखाव					
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य	6	Month	7152.00	42912.00
2.	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखा घास फूस व ज्वलनशील पदार्थों को हटाया प्रति है	5.81	है०	350.00	2033.50
	2.2 सुरक्षा दीवर/घेरबाढ़ के बाहर 40मी० की पट्टी साफ करना	5.81	है०	225.00	1307.25
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	5.81	है०	310.00	1801.10
2	अन्य कार्य				
योग (तृतीय वर्ष रख रखाव)					48053.85
वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख-रखाव					
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य	6	Month	7152.00	42912.00
2.	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखा घास फूस व ज्वलनशील पदार्थों को हटाया प्रति है	5.810	है०	350.00	2033.50
	2.2 सुरक्षा दीवर/घेरबाढ़ के बाहर 40मी० की पट्टी साफ करना	5.810	है०	225.00	1307.25
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	5.810	है०	310.00	1801.10
3.	अन्य कार्य				
					48053.85
वृक्षारोपण का पंचम वर्ष का रख-रखाव					
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य	6	Month	7152.00	42912.00
2.	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखा घास फूस व ज्वलनशील पदार्थों को हटाया प्रति है	5.810	है०	350.00	2033.50
	2.2 सुरक्षा दीवर/घेरबाढ़ के बाहर 40मी० की पट्टी साफ करना	5.810	है०	225.00	1307.25
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	5.810	है०	310.00	1801.10
3.	अन्य कार्य				
योग (पंचम वर्ष रख रखाव)					48053.85
वृक्षारोपण का सष्ठम वर्ष का रख-रखाव					
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य	6	Month	7152.00	42912.00
2.	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखा घास फूस व ज्वलनशील पदार्थों को हटाया प्रति है	5.810	है०	350.00	2033.50
	2.2 सुरक्षा दीवर/घेरबाढ़ के बाहर 40मी० की पट्टी साफ करना	5.810	है०	225.00	1307.25
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	5.810	है०	310.00	1801.10
3.	अन्य कार्य				
योग (सष्ठम वर्ष रख रखाव)					48053.85

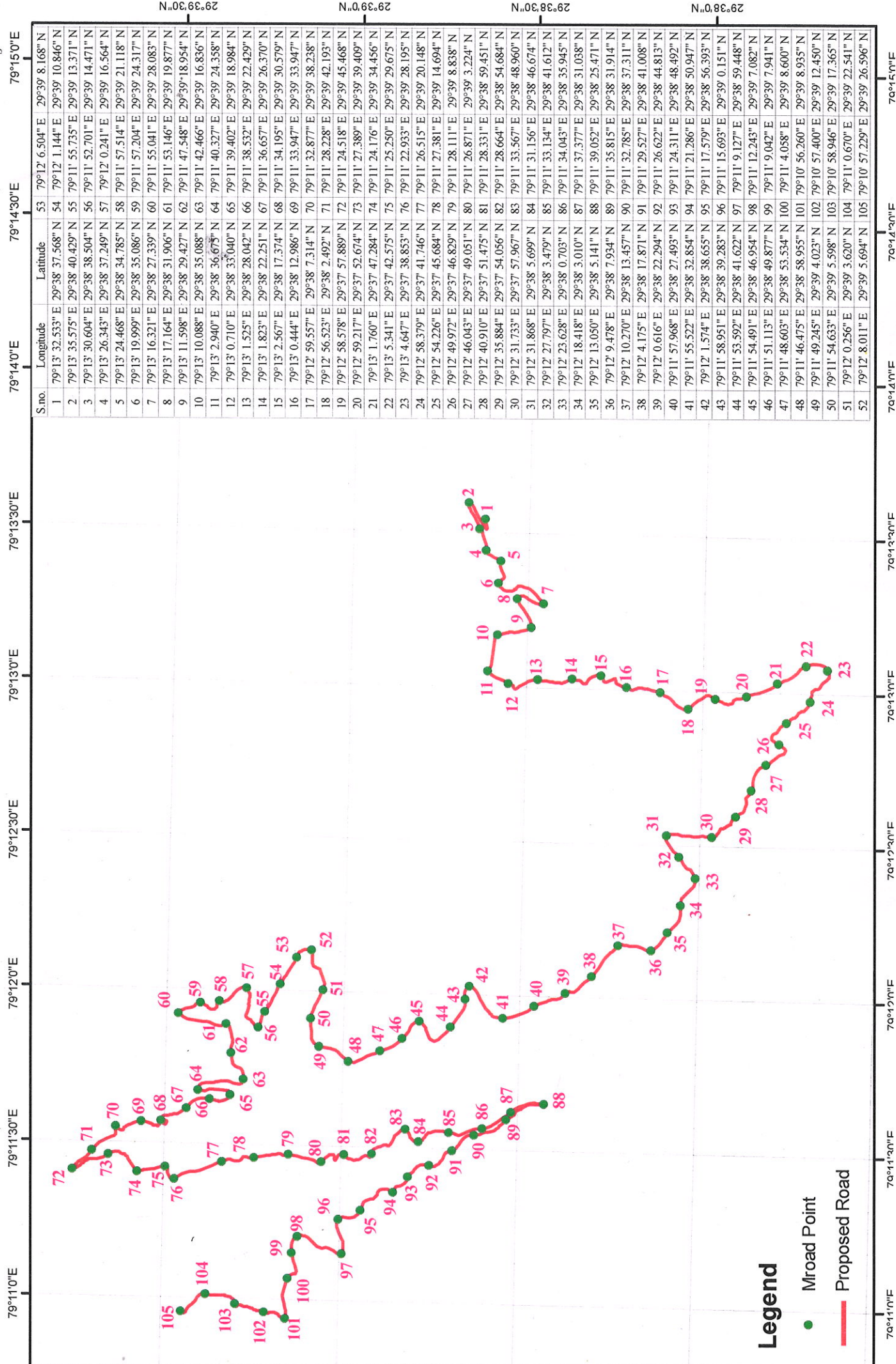
क्र.सं.	कार्य का विवरण	ईकाई	इकाई दर (रु०)	योग	
वृक्षारोपण का सप्तम वर्ष का रख-रखाव					
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य	5	Month	7152.00	35760.00
2.	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखा घास फूस व ज्वलनशील पदार्थों को हटाया प्रति है	5.810	है०	350.00	2033.50
	2.2 सुरक्षा दीवर/घेरबाढ़ के बाहर 40मी० की पट्टी साफ करना	5.810	है०	225.00	1307.25
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	5.810	है०	310.00	1801.10
3.	अन्य कार्य				
योग (सप्तम वर्ष रख रखाव)					40901.85
वृक्षारोपण का अष्ठम वर्ष का रख-रखाव					
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य	4	Month	7152.00	28608.00
2.	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखा घास फूस व ज्वलनशील पदार्थों को हटाया प्रति है	5.810	है०	350.00	2033.50
	2.2 सुरक्षा दीवर/घेरबाढ़ के बाहर 40मी० की पट्टी साफ करना	5.810	है०	225.00	1307.25
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	5.810	है०	310.00	1801.10
3.	अन्य कार्य				
योग (अष्ठम वर्ष रख रखाव)					33749.85
वृक्षारोपण का नवम वर्ष का रख-रखाव					
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य	4	Month	7152.00	28608.00
2.	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखा घास फूस व ज्वलनशील पदार्थों को हटाया प्रति है	5.810	है०	350.00	2033.50
	2.2 सुरक्षा दीवर/घेरबाढ़ के बाहर 40मी० की पट्टी साफ करना	5.810	है०	225.00	1307.25
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	5.810	है०	310.00	1801.10
3.	अन्य कार्य				
योग (नवे वर्ष रख रखाव)					33749.85
वृक्षारोपण का दशम वर्ष का रख-रखाव					
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख-रखाव व अनुरक्षण कार्य	5	Month	7152.00	35760.00
2.	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखा घास फूस व ज्वलनशील पदार्थों को हटाया प्रति है	5.810	है०	350.00	2033.50
	2.2 सुरक्षा दीवर/घेरबाढ़ के बाहर 40मी० की पट्टी साफ करना	5.810	है०	225.00	1307.25
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	5.810	है०	310.00	1801.10
3.	अन्य कार्य				
योग (दशम वर्ष रख रखाव)					40901.85
महायोग					799734.29
अथवा					800000.00

जीयोरेफरेन्स मैप - जनपद अल्मोड़ा में राज्य योजना के अर्न्तगत तराडी - डभरा - शशीखाल
मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

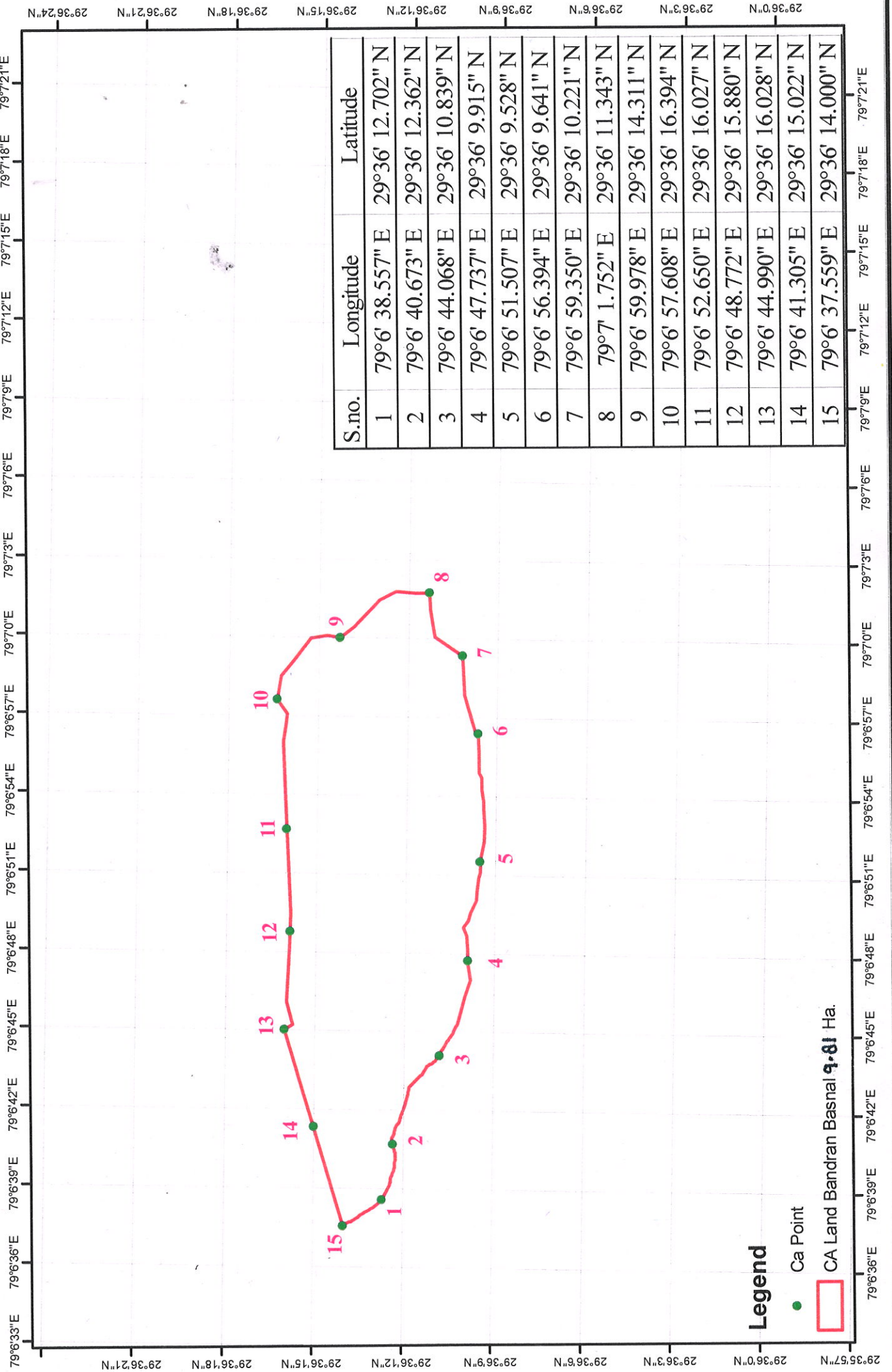
0 0.25 0.5 1

Km

Scale - 1:5,000

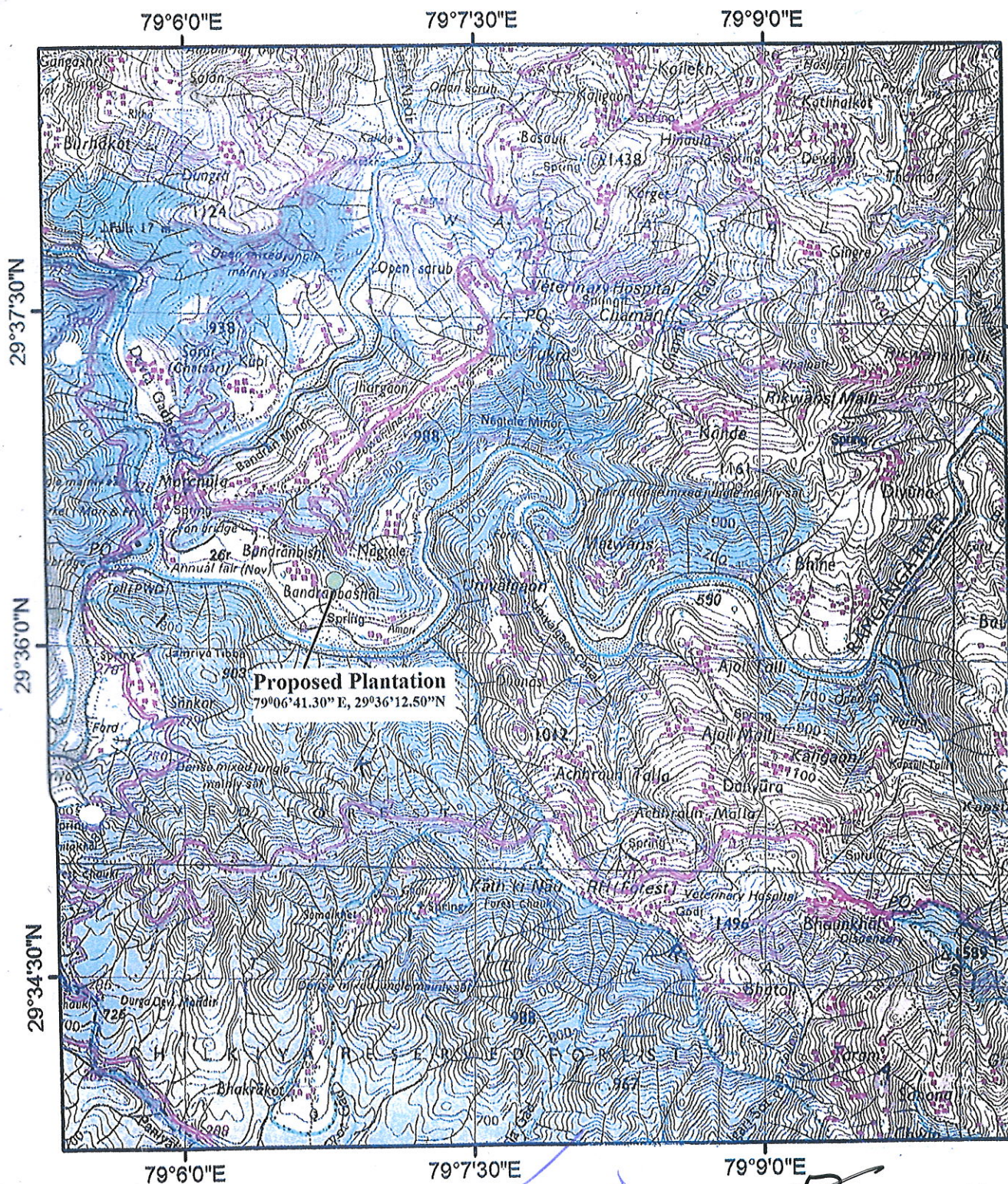


जीयोरेफेरेंस मैप – जनपद अल्मोड़ा में राज्य योजना के अन्तर्गत तराडी – डभरा – शशीखाल
मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल



Name of Project:- Construction of Tarari Dabhara Shashikhal motor road under state sector (Digital map of Proposed Plantation site)

0 0.5 1Km



Legend

● Proposed Plantation site

वन क्षेत्र अधिकारी

जोरासी वन क्षेत्र

बल्मोड़ा वन प्रभाग बल्मोड़ा

जिला अधिकारी

बल्मोड़ा.

अधिसारी अभियन्ता
प्रान्तीय वाड, सो.नि.ब.०
रानीखेत [बल्मोड़ा]

राष्ट्रीय वन
संरक्षण (सुभाष)
विभाग बल्मोड़ा

अधीनस्थ अधिकारी,
बल्मोड़ा,
जिला-बल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)